

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (ए-60/2011)(लिंक नं. 9719)/अलेसे-11/ 475 दिनांक :- 15.3.18

कार्यालय आदेश

निदेशालय के आदेश संख्या 91/2017 दिनांक 04.07.2017 के द्वारा श्री अरविन्द कुमार शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार का स्थानान्तरण/पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौमू, जयपुर में किया गया था परन्तु वहां पर पद रिक्त नहीं होने की वजह से श्री शर्मा दिनांक 14.11.2017 से 22.11.2017 (09 दिवस) तक इस निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षा में रहे। अतः उक्त अवधि को राजस्थान सेवा नियम 7(8)ब(iii) के अन्तर्गत कर्तव्य पर मानते हुए नियमित किया जाकर श्री शर्मा का उक्त अवधि (14.11.2017 से 22.11.2017) का वेतन कार्यालय कोषालय चित्तौड़गढ़ में कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद के विरुद्ध आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (ए-60/2011)(लिंक नं. 9719)/अलेसे-11/ 475 दिनांक :- 15.3.18

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. श्री अरविन्द कुमार शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. कोषालय चित्तौड़गढ़।
4. मान्यवर जयपुर (अपघोड)

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)